न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 75/2022 बउनवानी राजू कांकोरिया बनाम लो.सू.अधि.एवं जिला रसद अधि.स0मा0
पुत्र स्व0 श्री देवीनारायण कांकोरिया ग्राम व पोस्ट खण्डार

GCMS No-2022/124

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
17.8.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार रसद उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 1.5.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. राजस्थान प्रदेश के अन्दर कितने सरकारी कर्मचारियों ने स्वंय के राशनकार्ड जरिये उचित मूल्य राशन की दुकान से सरकारी गेंहूँ लिया है/प्राप्त किया है और कितने सरकार कर्मचारियों से 27/–रू किलों के हिसाब से वापस वसूली की गयी है प्रत्येक जिलो की अलग अलग सरकारी कर्मचारियों की संख्या की सूचना उपलब्ध करवायी जावे। 2. उचित मूल्य राशन की दुकान महिने मे कितने दिन और कितने बजे से कितने बजे तक खुलने का नियम आदेश है। उस नियम आदेश की सूचना आवेदक को प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार रसद ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस कमांक/सूकाअ/2022/780 दिनांक 2.8.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 व 2 पर चाही गयी सूचना अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 781 दिनांक 2.8.2022 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार रसद द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 1.5.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 व 2 मे चाही गयी सूचना मे से लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी द्वारा सवाईमाधोपुर जिले की सूचना अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 781 दिनांक 2.8.2022 से भिजवायी जा चुकी है। यद्यपि चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक एवं विस्तृत है किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा उनके कार्यालय स्तर तक की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझता हूँ। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील पत्रावली अभिलेखागार में जमा हो। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:32:41 IST
Reason: SelfAttested